सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

3 कार्तिक, 1943 (श०)

संख्या-536 राँची, सोमवार, 25 अक्टूबर, 2021 (ई०)

परिवहन विभाग

संकल्प

22 अक्टूबर, 2021

विषय : परिवहन निदेशालय (परिवहन आयुक्त कार्यालय) के अंतर्गत मोटरयान निरीक्षक (तकनीकी) का 25 (पच्चीस) अतिरिक्त पदों के सृजन के संबंध में ।

संख्या- परि०आ०-90/2001 (पार्ट)-1006--परिवहन विभाग के अन्तर्गत परिवहन आयुक्त कार्यालय एक निदेशालय के रूप में कार्यरत है। परिवहन आयुक्त कार्यालय के नियंत्रणधीन में निदेशालय (मुख्यालय) स्थित कार्यालय के साथ-साथ विभिन्न प्रमण्डलों एवं जिलों के स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालय भी कार्यरत है। इन कार्यालयों का मुख्य उद्देश्य एवं दायित्व सड़क परिवहन की दिशा में जनसुविधाओं में अभिवृद्धि के साथ-साथ मोटरवाहन अधिनियमों एवं नियमावलियों के प्रावधानों के अन्तर्गत मोटरवाहनों का निबंधन, मोटरवाहनों की योग्यता की जाँच, मोटरवाहनों का कर संग्रहण, यात्री/मालवाहक मोटरवाहनों के परमिट की स्वीकृति एवं नवीकरण, मोटरवाहन चालक अनुज्ञप्ति एवं नवीकरण, बस संवाहक अनुज्ञप्ति की स्वीकृति एवं नवीकरण, सड़क सुरक्षा का प्रचार-प्रसार, सस्ती यातायात सुविधा का विकास, मोटरवाहन जनित वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, प्राकृतिक आपदा एवं अन्य आपात स्थितियों में मोटरवाहन के अधिग्रहण के अनुश्रवण आदि से

संबंधित कार्यों का निष्पादन किया जाना है। इसी प्रकार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम के अन्तर्गत सभी प्रकार के वाहनों से कर एवं व्यवसायिक वाहनों से कर के अलावे अतिरिक्त कर की भी वसूली की जाती है ।

2. ध्यातव्य है कि राज्य के अन्तर्गत वाहनों को योग्यता प्रमाण पत्र देने, दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के निरीक्षण, वाहन चालक अनुज्ञप्ति हेतु चालक की निपुणता की जाँच, वाहन जनित प्रदूषण स्तर की जाँच करने इत्यादि कार्यों के निष्पादन हेतु 24 (चौबीस) जिलों में मोटरयान निरीक्षक के पद स्वीकृत हैं परन्तु वाहनों की संख्या में दिनोदिन बढ़ोतरी एवं उससे संबंधित कार्यों यथा राजस्व संग्रहण, फिटनेस जाँच, वाहन चालक अनुज्ञप्ति हेतु चालक के निपुणता की जाँच, दुर्घटना घटित वाहनों की जाँच एवं अन्य कार्यों की अधिकता को देखते हुए राजस्व संग्रहण के दृष्टिकोण से मोटरयान निरीक्षक के अतिरिक्त पद सृजन की आवश्यकता है ।

3. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में राज्य सरकार में सम्यक विचारोपरान्त मोटरयान निरीक्षक के पूर्व से सृजित 24 (चौबीस) पदों के अतिरिक्त 25 (पच्चीस) पदों के सृजन (अर्थात मोटरयान निरीक्षक के कुल स्वीकृत/सृजित पदों की संख्या-49) को निम्नवत सृजित करने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है :-

परिवहन निदेशालय (परिवहन आयुक्त कार्यालय) के अंतर्गत मोटरयान निरीक्षक (तकनीकी), वेतनमान अपुनरीक्षित PB-II Pay Level-06 GP-4200 (पुनरीक्षित Pay Level-6th) का 25 (पच्चीस) अतिरिक्त पद (अर्थात् कुल 49 पद) के जिलावार सृजन की स्वीकृति विवरणी :-

क्र० सं०	जिला का नाम	मोटरयान निरीक्षक हेतु पूर्व स्वीकृत पदों की संख्या	मोटरयान निरीक्षक हेतु अतिरिक्त स्वीकृत पदों की संख्या	मोटरयान निरीक्षक के कुल स्वीकृत पदों का विवरण	अभ्युक्ति
1.	राँची	01 (एक)	02 (दो)	03 (तीन)	ये सभी पद झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली, 2010 से आच्छादित है।
2.	हजारीबाग	01 (एक)	02 (दो)	03 (तीन)	
3.	पलामू	01 (एक)	02 (दो)	03 (तीन)	
4.	दुमका	01 (एक)	02 (दो)	03 (तीन)	
5.	पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	01 (एक)	02 (दो)	03 (तीन)	
6.	प० सिंहभूम, चाईबासा	01 (एक)	01 (एक)	02 (दो)	

7.	गुमला	01 (एक)	01 (एक)	02 (दो)	
8.	लोहरदगा	01 (एक)	0 (शून्य)	01 (एक)	
9.	बोकारो	01 (एक)	02 (दो)	03 (तीन)	
10.	धनबाद	01 (एक)	02 (दो)	03 (तीन)	
11.	गिरिडीह	01 (एक)	02 (दो)	03 (तीन)	
12.	कोडरमा	01 (एक)	01 (एक)	02 (दो)	
13.	चतरा	01 (एक)	0 (शून्य)	01 (एक)	
14.	गढ़वा	01 (एक)	0 (शून्य)	01 (एक)	
15.	देवघर	01 (एक)	02 (दो)	03 (तीन)	
16.	पाकुड़	01 (एक)	0 (शून्य)	01 (एक)	
17.	गोड्डा	01 (एक)	01 (एक)	02 (दो)	
18.	साहेबगंज	01 (एक)	01 (एक)	02 (दो)	
19.	लातेहार	01 (एक)	0 (शून्य)	01 (एक)	
20.	सिमडेगा	01 (एक)	0 (शून्य)	01 (एक)	
21.	जामताड़ा	01 (एक)	0 (शून्य)	01 (एक)	
22.	सरायकेला-खरसाँवा	01 (एक)	01 (एक)	02 (दो)	
23.	खूँटी	01 (एक)	0 (शून्य)	01 (एक)	
24.	रामगढ़	01 (एक)	01 (एक)	02 (दो)	
कुल		**24**	**25**	**49**	

4. प्रस्तावित पदों पर होने वाले व्यय की राशि मांग संख्या-47 परिवहन विभाग मुख्य शीर्ष-2041 के अंतर्गत स्थापना मद के विभिन्न इकाईयों में उपलब्ध बजटीय उपबंधित राशि से किया जायेगा ।

5. विवेच्य पदसृजन प्रस्ताव प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक-01.12.2020 को सम्पन्न बैठक में अनुशंसित है तथा इसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-28.09.2021 में मद संख्या-02 के रूप में प्राप्त की गई है ।

कमल किशोर सोन,

सरकार के सचिव
परिवहन विभाग ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 536 -- 50